कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :**ukmssbdun@gmail.com**; Website : **www.ukmssb.org** **Phone: 01352665366**

पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0 / परी0(टैक्नी0) / 02 / 2021–22 / 748 दिनांक 23 अगस्त, 2023

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के टेक्नीशियन संवर्ग के अन्तर्गत ओ0टी0टेक्नीशियन, सी0एस0एस0डी0 टेक्नीशियन, रेडियोथिरेपी टेक्नीशियन, ई0सी0जी0 टेक्नीशियन, ऑडियोमैट्री टेक्नीशियन, डेण्टल टेक्नीशियन, फिजीयोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपैशनल थिरैपिस्ट, रिफ्रेक्शनिष्ट तथा रेडियोग्राफिक टैक्नीशियन के रिक्त पदों पर चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में कट–ऑफ अंक धारित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के संबध में विस्तृत सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या उ0चि0से0च0बो0 / परी0(टैक्नी0) / 02 / 2020–21 / 465, दिनांक 13 अगस्त, 2021 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में समूह 'ग' के अन्तर्गत टैक्नीशियन संवर्ग के रिक्त 306 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञप्ति के अनुक्रम में बोर्ड के पत्र संख्या उ0चि0से0च0बो0 / परी0(टैक्नी0) / 02 / 2021–22 / 617 दिनांक 11 जुलाई 2023 द्वारा टेक्नीशियन संवर्ग के अन्तर्गत ओ0टी0टेक्नीशियन, सी0एस0एस0डी0 टेक्नीशियन, रेडियोथिरैपी टेक्नीशियन, ई0सी0जी0 टेक्नीशियन, ऑडियोमैट्री टेक्नीशियन, डेण्टल टेक्नीशियन, फिजीयोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपैशनल थिरैपिस्ट, रिफ्रेक्शनिष्ट तथा रेडियोग्राफिक टैक्नीशियन के रिक्त पदों पर चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको का विवरण तथा अभिलेख सत्यापन हेतु कट–ऑफ अंक सूची जारी की गई थी।

लिखित परीक्षा में पदवार कट–ऑफ अंक या उससे अधिक अंक धारित अभ्यर्थियों को पदवार अभिलेख सत्यापन हेतु निम्न तिथियों में बोर्ड कार्यालय में आमंत्रित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	पद कोड	पदनाम	अभिलेख सत्यापन तिथि	अभिलेख सत्यापन स्थल	उपिस्थिति का समय
1	102	ओ0टी0टेक्नीशियन	दिनांक 05 सितम्बर 2023 (मंगलवार)	कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून– 248001	प्रातः 10.00 बजे
2	103	सी0एस0एस0डी0 टेक्नीशियन	दिनांक 06 सितम्बर 2023 (बुधवार)		
3	104	रेडियोथिरैपी टेक्नीशियन			
4	105	ई0सी0जी0 टेक्नीशियन			
5	106	ऑडियोमैट्री टेक्नीशियन			
6	107	डेण्टल टेक्नीशियन			
7	108	फिजीयोथिरैपिस्ट			
8	109	ऑक्यूपैशनल थिरैपिस्ट			
9	110	रिफ्रेक्शनिष्ट			
10	111	रेडियोग्राफिक टैक्नीशियन	दिनांक 07 सितम्बर 2023 (वृहस्पतिवार)		

नोटः

1. अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अंतिम रुप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची पृथक से जारी की जायेगी।
2. पदवार निर्धारित किये गये अभिलेख सत्यापन दिवस में यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय को पूर्व में बिना कोई सूचना दिये एवं बिना कोई समुचित कारण बताये अनुपस्थित होता है तो उसे अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा एवं पुनः अवसर नहीं दिया जायेगा।
3. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किये गये तथ्यों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा अन्य वांछित अभिलेख एव प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के दिन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

4. अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की तिथि को <u>मूल अभिलेखों के साथ सम्बन्धित अभिलेखों की 02 स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ</u> निम्न अनुक्रम में प्रस्तुत करेंगेः–

1. औपबन्धिक प्रवेश पत्र 01 प्रति **(अनिवार्य)**
2. टैक्नीशियन संवर्ग के अन्तर्गत संबधित पद हेतु किये गये ऑनलाईन आवेदन पत्र की 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य) (यदि किसी अभ्यर्थी के पास आवेदन पत्र नहीं हैं, तो वह अभिलेख सत्यापन दिवस में आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं)**
3. 02 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ। **(अनिवार्य)**
4. हाईस्कूल अंकपत्र (अंकतालिका)– 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**
5. हाईस्कूल प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**
6. इण्टरमिडिएट अंक पत्र (अंकतालिका)– 02 स्वप्रमाणित प्रति।**(अनिवार्य)**
7. इण्टरमिडिएट प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति।**(अनिवार्य)**
8. *Degree/Diploma* प्रत्येक वर्ष के अंकपत्र/अंकतालिका– 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**
9. *Diploma/Degree* प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**
10. उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति।**(अनिवार्य)**
11. राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र अथवा प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा का प्रमाण पत्र **(यदि उल्लेख किया हो)**– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
12. स्थाई निवास प्रमाण पत्र **(यदि उल्लेख किया हो)** – 02 स्वप्रमाणित प्रति
13. अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के माता–पिता/पति/पत्नी आर्मी/पैरामिलिट्री/केन्द्र अथवा राजकीय विभाग में, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड राज्य से स्थानान्तरण नहीं हो सकती है, कार्यरत हैं सम्बन्धी प्रमाण पत्र **(यदि उल्लेख किया हो)**– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
14. आरक्षण का लाभ पाने वाली अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र की 02 स्वप्रमाणित प्रति, जो कि विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक नियमानुसार वैध हो। **(यदि उल्लेख किया हो)**– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
15. स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित/पूर्व सैनिक/दिव्यांगजन/उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे सम्बन्धी प्रमाण पत्र की 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(यदि आवेदन पत्र मे ंउल्लेख किया गया है)** – 02 स्वप्रमाणित प्रति।
16. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन नियमित रुप से कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक का ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' की 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है)** – 02 स्वप्रमाणित प्रति।
17. यदि अभ्यर्थी का उपनाम (Surname/Last Name) विवाह के पश्चात् परिवर्तन किया गया है और उसका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया हो, इस सम्बन्ध में विवाह प्रमाण पत्र अथवा रु0 10.00 के नोटराइज शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
18. अन्य प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, की 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है)**
19. **मात्र पदकोड 108 तथा 109 <u>हेतु</u>** : राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा सस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र **(अनिवार्य)**

अभ्यर्थी उक्त अभिलेखों को इसी क्रम में अलग–अलग दो सैट में सत्यापन पटल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे सत्यापन पटल के समक्ष उपरोक्तानुसार इंगित मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के दो अलग–अलग सैट क्रमबद्ध रुप से प्रस्तुत करेंगे। मोबाइल पर प्रस्तुत किये गये कोई भी

दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों के अभिलेखों की छायाप्रति करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी। अभिलेख सत्यापन स्थल पर मात्र अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। अभिलेख सत्यापन स्थल पर बच्चे/बुजुर्ग/परिचित इत्यादि को साथ में लाना सख्त मना है।

ह0/–
(गरिमा रौंकली)
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।